रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1680] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2010/श्रावण 22, 1932

No. 1680] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2010/SHRAVANA 22, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

का.आ. 1995(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3316(अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2009 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 31 दिसम्बर, 2009 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, 45 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 दिसम्बर, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 के नियम 9 के में उप-नियम (1), में "उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या पशु कल्याण संगठन" शब्दों के स्थान पर "राज्य पशु कल्याण बोर्ड या कोई व्यक्ति जो अर्हित पशु चिकित्सक है और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा प्राधिकृत है, कम सै कम प्रत्येक छह मास की अवधि में एक बार" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 27-1/2009-ए डब्ल्यू डी]

हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिसूचना संख्यांक का.आ. 270(अ) तारीख 26 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।